संक्षिप्त

मोहर सिंह गुर्जर निर्विरोध अध्यक्ष

किशनगढबास, (निसं)। ग्राम सेवा सहकारी समिति किशनगढबास के संपन्न हुए चुनाव में गांव गहणकर के मोहर सिंह गुर्जर निर्विरोध सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किए गए हैं। मोहर सिंह गुर्जर को अध्यक्ष बनाए जाने पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखयाणी ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। गुर्जर के अध्यक्ष बनने पर पूर्व ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष खुशीराम यादव पूर सरपंच जनेश भूटानी प्रेम सोनी सहित व्यापारियों एवं शहर के गणमान्य लोगों ने साफा व माला पहनाकर सम्मान किया।

कमलेश प्रजापत बने कैप्टन

मालपुरा, (निसं)। एमबीएम विश्व विद्यालय जोधपुर में पदस्थापित मालपुरा निवासी कमलेश कुमार प्रजापत एनसीसी अधिकारी से पदोन्नत होते हुए कैप्टीन पद पर सुशोभित होने पर क्षेत्रवासियों ने हर्ष जत्ता बधाई दी। कमलेश के छोटे भाई व मालपुरा सीएचसी नर्सिंग ऑफिसर राजेश कुमार एवं समाजसेवी कुंजबिहारी खारोल ने बताया कि कमलेश कुमार बीते 10 साल से एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर मे एनसीसी लैफटीनेंट रैंक पर रहते हुए 600 से अधिक एनसीसी कैडेटस को सफलता पूर्वक ट्रैनिंग व सर्टिफिकेट दिलवाये है।

जन्मतिथि संशोधन

मैं शेरसिंह पुत्र बहादुरसिंह गुर्जर निवासी बंधका नंगला, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला-करौली (राजस्थान) सशपथ बयान करता हूं कि मेरी पत्नी शीला के आधार कार्ड में जन्मतिथि 01-07-1986 गलत दर्ज हो गई है। जबकि अन्य दस्तावेजों में सही जन्म तिथि 15-07- 1986 दर्ज है। भविष्य में इसे ही सही माना जावे।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री मिट्ठू सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री गंगा सिंह एवं श्रीमती सज्जन कंवर पत्नी श्री मिट्ठू सिंह राठौड़ निवासीगण मकान नं.88, श्याम विहार कॉलोनी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर (राज.) के पुत्र भूपेन्द्र सिंह राठौड़ व उसकी पत्नी श्रीमती करिश्मा कंवर शेखावत हमसे अलग रहते है तथा इनका व्यवहार मेरे अभिभाष्यगण के प्रति ठीक नहीं है तथा वे गलत संगत में है। इसलिए मेरे अभिभाष्यगण ने अपने उक्त पुत्र व पुत्र वधु को अपनी चल व अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है तथा अब मेरे अभिभाष्यगण का अपने उक्त पुत्र व पुत्र वधु से किसी प्रकार का कोई लेना-देना व रिश्ता नहीं है। मेरे अभिभाष्यगण के उक्त पुत्र व पुत्र वधु से कोई भी लेन-देन एवं संव्यवहार किया है और करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा, मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
(दलजेन्द्र सिंह राठौड़) एडवोकेट, मो.7976240076

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री अखतर अहमद पुत्र श्री मन्जूर अहमद, (बख्तियार), निवासी-मकान नम्बर 907, हकीम जी की गली, मोती डूंगरी रोड, जयपुर राजस्थान द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 25.1.2021 मकान नम्बर 1345 व 1346, मोती डूंगरी रोड, जयपुर स्थित सम्पत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल 205.19 वर्गगज है के उक्त सम्पत्ति के संयुक्त स्वामी 1.अब्दुल गफ्फार पुत्र स्व. श्री करीम बक्श, 2. अब्दुल वहाब पुत्र स्व.श्री करीम बक्श, 3.अब्दुल रजाक पुत्र स्व.श्री करीम बक्श, 4. अब्दुल रशीद पुत्र स्व.श्री अब्दुल हमीद, 5 अब्दुल जाहिद पुत्र स्व.श्री अब्दुल हमीद 6. मोहम्मद शाहिद पुत्र स्व. श्री अब्दुल हमीद, 7 अब्दुल जावेद पुत्र स्व.श्री अब्दुल हमीद, 8.मोहम्मद साजिद पुत्र स्व.श्री अब्दुल हमीद निवासियान-मकान नम्बर 1345-1346, गली मर्दान खां, मुस्लिम मुसाफिर खाने के सामने, मोती डूंगरी रोड, जयपुर से खरीद करने का इकरार किया है। यदि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बाबत कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि किसी प्रकार की कोई खरीद फरोख्त करता है तो स्वयं जिम्मेदार होगा।
जयपुर (रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट
दिनांक-19.9.2022 मो.नं.9829256466

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 98/2022
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री जे.के.अरोड़ा पुत्र श्री आर.एल.अरोड़ा निवासी ए-504, अनुकम्पा अपार्टमेन्ट, त्रिमूर्ति मार्ग माडल टाउन, मालवीय नगर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत सांई आश्रम ट्रस्ट, दी सांई नैस्ट, प्लाट नं.56, सन्तोष विहार, एन.आई.आर. चौराहा के पास, मैन 160 फीट रोड, जयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 21.11.2022
रतनलाल योगी
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश स्थान शाहपुरा जयपुर
देवी सहाय विरूद्ध मुरली वगैरहा
वाद बाबत घोषणा वगेरहा
वाद सं. 32 सन् 2016
बनाम हेमराज पुत्र स्व.मुरली जाति रैगर स्थान बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
वादी ने आपके विरूद्ध दावा के लिये वाद पंजीयन किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 17 माह 10 सन् 2022 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात (हाजिर) हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपावद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 16 माह 09 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर — न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का शीघ्र और गुणवत्ता से निस्तारण करें : कलेक्टर

कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

■ 'स्थाई अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस देवे'

अलवर, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों से कहा कि जिस प्रकार जिले के सभी चिकित्सालयों का प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था उसी प्रकार समय-समय पर अन्य विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण कराया जाएगा। विभाग अपने कार्यालयों की व्यवस्थाएं दुरूस्त व सुचारू रखे।

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने निर्देश दिये कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को गंभीरता से लेकर त्वरित और गुणवत्ता के साथ निस्तारण करे। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से समन्वय कर जिला मुख्यालय पर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल समय-समय पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी की बैठक लेवे। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिये कि दीपावली से पूर्व वार्डवार सघन सफाई अभियान चलाकर शहर की पूर्ण साफ-सफाई करावे। उन्होंने निर्देश दिये कि नगर परिषद व पुलिस अतिक्रमण के विरूद्ध संयुक्त कार्रवाई करे। स्थाई अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमियों को तुरन्त अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस देवे। यदि वो अतिक्रमण नहीं हटाता है तो संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से अतिक्रमण हटाए और अतिक्रमी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करावे। अस्थाई अतिक्रमियों की सामग्री जब्त करे। शहर में सभी रोड लाइट चालू रहे तथा खराब रोडलाइटों को सही कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिये कि विभागीय योजनाओं विशेष तौर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना सहित अन्य सभी योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करे। सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के तहत किए जा रहे उपचार की प्रतिदिन की रिपोर्ट भिजवाए। बैठक में यूआईटी की सचिव डॉ. मंजू, एडीएम द्वितीय सुश्री वन्दना खोरवाल, एडीएम शहर ओ.पी सहारण, डीएसओ जितेन्द्र सिंह नरूका, एडीपीएस श्वेता यादव, नगर विकास न्यास के उप सचिवयोगेश डागुर, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियन्ता संगीत अरोडा, आरटीओ रानी जैन, जिला कोषाधिकारी राजकुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

घर में घुसा सांड, चार लोग घायल

अलवर, (निसं)। अलवर के मालाखेडा क्षेत्र के जमालपुर गांव में सोमवार सुबह से बौखलाए सांड ने 4 लोगों को घायल कर दिया। इनमें दो बुजुर्ग हैं। एक युवक को जयपुर रेफर किया है। वहीं तीन का गांव में इलाज जारी है। पागल सांड आदमी को देखते ही पीछे भाग रहा है।

सांड के दौडने से एक बकरी चपेट में आ गई, जिसकी मौत हो गई। सांड एक घर में घुस गया। गांव में लोग छतों पर चढे हुए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी लेकिन, फिलहाल मौके पर कोई नहीं पहुंचा है। ग्रामीण छाजू सिंह ने बताया कि गांव के युवक सुरेश को सांड ने उठाकर पटक दिया। जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे जयपुर रेफर किया गया है। वहीं रामलाल बैरवा को उठाकर पटक दिया। मूल सिंह व भंवर सिंह को भी घायल कर दिया। इनमें से तीन का गांव में इलाज जारी है। परिवार के लोग ही घायलों का घरों में इलाज करने में लगे हैं। सुबह 10 बजे तक भी सांड गांव में ही लोगों के पीछे दौडता रहा। सांड के डर से लोग घरों की छत पर चढ गए। एक-दो बार खुले में खेत की तरफ सांड को लेकर गए। लेकिन फिर वापस गांव में आ गया। जैसे ही सांड किसी व्यक्ति को देखता है उसके पीछे दौडता है। बीच में एक बकरी आ गई। सांड से टकराने से उसकी मौत हो गई। सांड मुंह से झाग छोड रहा है। जिससे लगता है कि वह बौखलाया हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। लेकिन, गांव कोई टीम नहीं पहुंची है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना सांड गांव में ही घूमता था। लेकिन शनिवार से सांड लोगों के पीछे दौडने लगा था। रविवार सुबह तक सांड ज्यादा आक्रामक हो गया। जिसने अब तक कई जनों को घायल कर दिया है। गांव के लोग हाथों में लटठ् लेकर घूम रहे हैं।

एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

चौरु/उनियारा, (निसं)। उनियारा में महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास में 12 प्रतिशत आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांग तथा जयपुर में गिरफ्तार लोगों की रिहाई मांग को लेकर उपखंड के माली समाज के लोगों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। माली समाज की आयोजित बैठक में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल लाल सैनी ने भाग लिया तथा ज्योतिबा फुले तथा मां सावित्री बाई फुले के छाया चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

आयोजित कार्यक्रम को समाज के कई प्रबुद्धजनों ने संबोधित किया। जिन्होंने अंतिम सांस तक लडाई लडने का आव्हान किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कृषि मंत्री प्रभूलाल सैनी ने कहा कि राज्य सरकार को माली समाज की मांगों पर गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए तथा उनकी मांगों को मानना चाहिए। पुलिस ने शांतिपूर्वक जयपुर में किए जा रहे आंदोलन में आंदोलनकारियों पर बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज तथा मारपीट का कार्य किया है। उनकी घोर शब्दों में निन्दा करता हूं। बैठक के बाद माली समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। जो ज्योतिबा फुले छात्रावास से रवाना होकर मुख्य सडक मार्ग से निकलते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। वहां माली समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी रजनी मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
आदेश 5 के नियम 1 और
न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक जि. जयपुर
भोलूराम बनाम कैलाश वगैरह
वाद पत्र सं. 18/20
वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
बनाम-1-किशनलाल पुत्र छोटू 2- राजू पुत्र स्व. गुल्ला 3-जीवण पुत्र स्व.गुल्ला 4-बिदामी पत्नि स्व.गुल्ला 5-शांति पुत्री स्व.गुल्ला 6-बरजी पुत्री स्व.गुल्ला 7- गोरा पुत्री स्व.गुल्ला 8-चंदा पुत्री स्व.गुल्ला 9-रतनी पुत्र स्व.गुल्ला 10- नन्दूदेवी पत्नि छोटू 11- शंकर पुत्र स्व.पन्ना 12- मुकेश पुत्र स्व.पन्नाराम 13- माली, 14- संतोष 15-बिरदी 16-भागू 17 सुमन पुत्रीयान स्व.पन्नाराम 18- प्रभात पुत्र गोपी 19 -भूरा पुत्र लादू 20 -भोलू पुत्र चन्दा 21 -मंगला पुत्र धन्ना, 22- मांगीलाल पुत्र रामेदव 23-रामकुवार पुत्र गोपीराम 24-रामनिवास पुत्र सुवालाल 25- सावरमल पुत्र स्व.श्योना 26. मंगल पुत्र स्व.श्योना 27- चंद्राराम पुत्र स्व.श्योना 28- ज्याना पुत्री स्व.श्योना 29-धन्नी पुत्री स्व.श्योना 30- सीताराम पुत्र सेडू समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी केशा का बास तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर राज. 31-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा 32-पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर, 33-तहसीलदार तहसील कि. रेनवाल जिला जयपुर
वादी ने उपरोक्त आपके विरुद्ध उपरोक्त के वाद पंजीयत किया है।आपका इस न्यायालय में तारीख 27.9.22 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा काई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा का आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रतिष्ठ करे।
आपको सूचित किया जाता हैकि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता.6.9.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से लगाकर दिया गया है।
मोहर — न्यायाधीश सहायक कलक्टर सांभर लेक

प्रोफेसरों के तबादले में मंत्री ने किया जातिवाद : बैरवा

जयपुर, (निसं)। रुक्टा डेमोक्रेटिक के प्रदेश संयोजक डॉ.रमेश बैरवा ने उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्रसिंह यादव पर प्रोफसरों के तबादला करने और दलित प्रोफेसरों को हटाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

डॉ.बैरवा ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि उच्च शिक्षा मंत्री ने बडी संख्या में स्वजातीय प्रोफेसरों को कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में पदस्थापित किया और प्रतिनियुक्ति देने के साथ साथ उनको इच्छित कॉलेजों में ट्रांसफर कर दिया जबकि इसके विपरीत बड़ी संख्या में दलित प्रोफेसरों के तबादले अलग-अलग जगह कर दिए। कुछ को अनिश्चितकालीन अवधि के लिए कार्यव्यवस्था पर भेजा। इससे दलित प्रोफेसरों में अंदरूनी आक्रोश है। बैरवा का आरोप है कि अलवर कला कॉलेज में ही तबादलों के जरिए लाए गए 7 प्रोफेसरों में 4 मंत्री की जाति के हैं और हटाए गए 7 प्रोफेसरों में 5 दलित हैं। डॉ अशोक कुमार खटीक के साथ तो विभागीय जांच में भेदभाव साबित हो चुका है। इनकी 7 महीने से ज्यादा के वेतन भत्तों का भुगतान अभी तक भी नहीं किया है। धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के रुक्टा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे डॉ.शैलेंद्र सिंह भाटी, ओमप्रकाश यादव, राजेश वर्मा का भी तबादला कर दिया है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में पद स्थापित एकमात्र दलित प्रोफेसर डॉ.राजेश कुमार वर्मा को भी हटा दिया है। उन्होने मांग की है कि जरूरी होने पर तबादले जातिवाद, भेदभाव करके नहीं बल्कि तार्किक तरीके से किए जाए। तबादलों के लिए एक पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाई जाए।

वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का, कड़ी मेहनत जरूरी : प्रांजल कंवर

■ ग्रामीण ओलंपिक खेलों का ब्लॉक स्तरीय समापन समारोह, विजेता टीमों का सम्मान

निवाई, (निसं)। भगतसिंह कालोनी में स्थित आदर्श विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय आयोजन का सोमवार को समापन समारोह पूर्वक हुआ। इसमें विजेता टीमों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को अतिथियों ने सम्मानित किया।

समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि तहसीलदार प्रांजल कंवर, ब्लाक शिक्षा अधिकारी मीना बंसन एवं प्रधानाचार्या लक्ष्मी शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। मुख्य अतिथि तहसीलदार प्रांजल कंवर ने कहा कि खेलों में एक टीम जीतती है वहीं दूसरी टीम हारती है, विजेता टीम आगे के लिए तैयारी करे एवं हार वाली टीम को विजेता टीम से सीख ले। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा है जिसके लिए खिलाडियों में कडी मेहनत की आवश्यकता है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मीना बंसल ने बताया कि आदर्श स्कूल के प्रांगण में खेलों का समापन समारोह हुआ। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने कई प्रकार के देश भक्ति सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों प्रस्तुतियां दी। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों में महिला व पुरुष कबड्डी, टेनिस बाल क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल, शूंटिग बॉल और हॉकी के मैच खेले गए। जिनमें विजेताओं टीमों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य गिरिराज गुर्जर ने किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार अरिवन्द शर्मा, प्रधानाचार्य सुविज्ञा चौहान, उप प्राचार्य निलम गिन्दोडी, राकेश अग्रवाल, विनोद कुमार तिवाडी, कृतिका शर्मा, हरिनारायण मीणा, रामजीलाल मीणा, आमिन खान, विष्णुलाल शर्मा, जन्सीलाल गुर्जर, प्रेम चौधरी, सहायक विकास अधिकारी हंसराज मीणा, चिरंजीलाल बैरवा, कैलाशचन्द गुर्जर, कमलेश लक्षकार, चिरंजीलाल मीणा, कनिष्ठ सहायक शिवदयाल बैरवा सहित कई अधिकारी व शारीरिक शिक्षक मौजूद थे।

सेंट जोजफ कॉलेज में होगी एलएलबी की परीक्षाएं

टोंक (निसं)। राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में एलएलबी की परीक्षा कॉपियाँ चोरी होने के बाद डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के निर्देशानुसार परीक्षा केन्द्र सोमवार को परिवर्तन होने के साथ ही राजकीय महाविद्यालयय टोंक एलएलबी की सोमवार को दो पारियों की परीक्षाएं हुई। 20 सितम्बर एलएलबी की समस्त परीक्षा सेंट जोसफ महाविद्यालय, डाईट रोड, टोंक पर आयोजित होगी। राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में एलएलबी की परीक्षा की कॉपियाँ चोरी हो गई थी, जिसके कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किया गया है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलसचिव अयूब खान के निर्देशानुसार 20 सितम्बर से आगामी दिवसों की (प्रात:काल पारी 10.30 से 12.30 व दोपहर पारी 2.30 से 4.30) दोनों पारियों की समस्त परीक्षायें सेंट जोसफ महाविद्यालय, डाईट रोड, टोंक पर आयोजित होगी।

ट्रकों में ले जा रहे गोवंश को पुलिस ने कराया मुक्त, छह गिरफ्तार

■ पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज, तस्करी को लेकर की जा रही पड़ताल

रामगढ-पचवारा, (निसं)। थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कल्लावास ग्राम के नजदीक बीती रात गौ रक्षा कमांडो फोर्स के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दो ट्रकों में खचाखच भरे गोवंश को रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस द्वारा मुक्त कराया। वही ट्रक कंटेनर में खचाखच भरे करीब 29 गाय एवं नौ बछडों को लेकर थाना पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

गौ रक्षक को सेवकों की मानें तो इन दो ट्रक कंटेनर में गोवंश को संभवत या तस्करी के लिए ही ले जाया जा रहा था। गौ सेवकों ने बताया कि उनको सूचना मिलने के बाद जब ट्रकों को रोककर तलाशी ली गई तो उनमें गोवंश भरा पाया गया। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में लंपी वायरस का प्रकोप गोवंश में चल रहा है। ऐसे में गोवंश को इस तरह ट्रकों में भरकर ले जाना सीधा सीधा गौ तस्करी का मामला दर्शाता है। वही पशु चिकित्सकों द्वारा इन गोवंश की जांच पडताल की गई तो ज्यादातर गोवंश दूध देने लायक पाया ही नहीं गया। फिर इन गोवंश परिवहन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किस लिए इन लोगों द्वारा जयपुर के हटवाडा से रवाना बनाकर कंटेनर ओं में गोवंश को भरकर तेलंगाना के लिए डेयरी फार्म पर ले जाया जा रहा था। वही पूरे मामले को लेकर थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि फिलहाल गोवंश को डीडवाना के भूतेश्वर गौशाला में छोडा गया है साथ ही मामले को लेकर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले में आधा दर्जन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें दो लोग शाहपुरा के एवं बाकी चार लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन लोगों द्वारा अधिकृत तरीके से ले जाना बताया है। वहीं पुलिस द्वारा गौ रक्षकों के इनके ऊपर गौ तस्करी के आरोपों के बाद गोवंश परिवहन से जुडे सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। वहीं पुलिस की पूरी जांच पडताल के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा कि आखिर इन गोवंश को किस उद्देश्य से प्रवेश किया जा रहा था।

लूट मामले में बदमाश गिरफ्तार

बहरोड/नीमराना, (निसं)। तसींग रोड बहरोड पर 27 जुलाई को बदमाशों द्वारा बंधन बैंक के कर्मचारी की बाइक को टक्कर मारकर देसी कट्टा कनपटी पर लगाकर 1 लाख 40 हजार रुपए छीन ले जाने के मामले में दर्ज प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए 1000 रुपए का इनाम घोषित करते हुए मामले पर संज्ञान लेते हुए लुटेरे राहुल पुत्र ओमप्रकाश निवासी नियामतपुर थाना नांगल चौधरी जिला महेंद्रगढ हरियाणा को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया।

दो फरार आरोपी गिरफ्तार

निवाई, (निसं)। सदर थानाधिकारी कप्तान सिंह ने बताया कि एक वर्ष पूर्व सदर पुलिस ने गश्त के दौरान गांव सुनारी से अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के मामले में एक वर्ष से फरार चल रहे वांछित आरोपी रामफूल मीणा पुत्र पांचूराम निवासी मूंडली शिवदासपुरा जयपुर तथा मुकेश मीणा पुत्र नंदलाल मीणा निवासी शंकरपुरा, कोटखावदा जयपुर को गिरफ्तार किया है।

कार्यालय नगरपालिका देवली (टोंक) राज.
Tel-(01434) 232013, Email: npdeoli@gmail.com
क्रमांक-न.पा.दे./प्र.श.के.स.अभि./2022-23/2520 दिनाक-19.9.22
आपत्ति आमन्त्रण सूचना
निम्न 23 आवेदनकर्ताओ ने बैरवा मोहल्ला, एजेन्सी एरिया, विवेकानन्द कॉलोनी, सदर बाजार, कुम्हार मोहल्ला, राजपूत कॉलोनी, भिस्ती मोहल्ला, अन्य में अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन किया है। जिसकी आपत्ति आमंत्रण सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 2517 दिनांक 19.9.2022 द्वारा जारी कर दी गई है।जिससे सबंधित आवेदन की विस्तृत जानकारी नगरपालिका देवली की वेबसाईट http://lsg.urban.rajasthan.gov.in तथा स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट http://shahar2021.rajastan.gov.in व नगरपालिका नोटिस बोर्ड चस्पा सूची पर देखी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो विधिमान्य दस्तावेजों सहित लिखित में अपना दावा /आपत्ति नगरपालिका देवली में 07 दिवस में प्रस्तुत करें।बाद म्याद गुजरने आपत्ति मान्य नहीं होगीं । सूचित रहे।
(सुरेश कुमार मीणा)
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका देवली

चाकसू में माली समाज ने ज्ञापन सौंपा

चाकसू, (निसं)। माली सैनी समाज ने दो अलग-अलग स्थानों पर सोमवार को जयपुर में हुए आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज मामलों को वापस लेने एवं गिरफ्तार समाज के लोगों की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर पालिका पार्षद सुरेश सैनी, पार्षद प्रतिनिधि गणपत लाल सैनी, राकेश सैनी, समाजसेवी लालाराम जादम सहित सैकडों समाज बंधु थे। वही कोटखावदा में माली सैनी समाज ने तहसील कार्यालय में तहसीलदार सृष्टि जैन को ज्ञापन सौंपा।

विज्ञप्ति मैं पांचूराम जगरवाल सर्व साधारण को सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा पुत्र पवन जगरवाल मेरे कहने का नहीं है। इसलिए मैं अपने पुत्र से भविष्य में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। और इसके द्वारा किए गए कृत्य और आचरण से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।
ABDUL BARI, Advocate
Ph.: 0141-780956

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मकान नम्बर 1145, मेहरो का रास्ता, रामगंज बाजार जयपुर में विष्णु नारायण अग्रवाल के हिस्से की सम्पत्ति को मेरा अभिभाष्य मोहम्मद फेहमीद क्रय कर रहा है।किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो तीन दिवस में बतायें। अन्यथा आपत्ति स्वीकार नही होगी तथा मेरा अभिभाष्य उक्त हिस्से को खरीदने के लिय स्वतंत्र रहेगा।
जयपुर (जुबैर इरशाद) एडवोकेट
दिनांक-19.9.2022 मो.नं.9828549967

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मकान नम्बर 1145, मेहरो का रास्ता, रामगंज बाजार जयपुर में गोपाल बंसल के हिस्से की सम्पत्ति को मेरा अभिभाष्य रियाजुद्दीन क्रय कर रहा है।किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो तीन दिवस में बतायें। अन्यथा आपत्ति स्वीकार नही होगी तथा मेरा अभिभाष्य उक्त हिस्से को खरीदने के लिय स्वतंत्र रहेगा।
जयपुर (जुबैर इरशाद) एडवोकेट
दिनांक-19.9.2022 मो.नं.9828549967

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मकान नम्बर 1145, मेहरो का रास्ता, रामगंज बाजार जयपुर में श्रीराम अग्रवाल के हिस्से की सम्पत्ति को मेरा अभिभाष्य मुबश्शिरा क्रय कर रही है।किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो तीन दिवस में बतायें। अन्यथा आपत्ति स्वीकार नही होगी तथा मेरा अभिभाष्य उक्त हिस्से को खरीदने के लिय स्वतंत्र रहेगा।
जयपुर (जुबैर इरशाद) एडवोकेट
दिनांक-19.9.2022 मो.नं.9828549967

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मकान नम्बर 1145, मेहरो का रास्ता, रामगंज बाजार जयपुर में प्रहलाद दास बंसल के हिस्से की सम्पत्ति को मेरा मेरा अभिभाष्य अब्दुल रहीम क्रय कर रहा है।किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो तीन दिवस में बतायें। अन्यथा आपत्ति स्वीकार नही होगी तथा मेरा अभिभाष्य उक्त हिस्से को खरीदने के लिय स्वतंत्र रहेगा।
जयपुर (जुबैर इरशाद) एडवोकेट
दिनांक-19.9.2022 मो.नं.9828549967

चौमूंवासियों के लिए बांद्रा एक्सप्रेस उपयोगी साबित होगी : सुमेधानंद

बांद्रा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस के चौमूं पहुंचने पर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, विधायक रामलाल सहित भाजपाइयों ने स्वागत किया।

■ चौमूं विधायक ने ट्रेन के ठहराव पर केंद्रीय रेल मंत्री और सीकर सांसद का जताया आभार

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। चौमूं शहर के रेलवे स्टेशन पर श्रीगंगानगर-बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सोमवार से शुरू हो गया है। बांद्रा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस के चौमूं स्टेशन पर पहुंचने पर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और विधायक रामलाल शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रेन और कर्मचारियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार किया।

सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और विधायक रामलाल शर्मा के प्रयासों से केंद्रीय रेल मंत्री ने बांद्रा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस के ठहराव की चौमूं रेल्वे स्टेशन की स्वीकृति दी है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि चौमूं विधानसभा क्षेत्र के लिए यह ट्रेन बहुत उपयोगी साबित होगी और नियमित जयपुर आने जाने वाले यात्रियों को कम आर्थिक बोझ उठाना पडेगा। इस मौके पर विधायक रामलाल शर्मा ने ट्रेन के ठहराव पर केंद्रीय रेल मंत्री और सीकर सांसद का आभार जताते हुए कहा कि श्रीगंगानगर-बांद्रा एक्सप्रेस का समय सवेरे ड्युटी टाइम होने के चलते करीब 600 से 700 लोगों को जयपुर आने जाने में फायदा मिल सकेगा।

चौमूं क्षेत्र के लोग पशुपालन व्यवसाय पर निर्भर होने के चलते सैकडों लोग यहां से सब्जिया एवं दूध लेकर जयपुर नियमित रूप से आते जाते रहते हैं। वही मजदूर और नौकरी पेशा लोग इस ट्रेन के माध्यम से नियमित समय पर आना जाना हो सकता है। उपस्थित लोगों ने ट्रेन के ठहराव का समय अच्छा बताते हुए सीकर सांसद और विधायक रामलाल शर्मा का आभार जताया। इस मौके पर नगर मंडल अध्यक्ष गजानन्द कुमावत, बांसा मंडल अध्यक्ष श्रीराम शर्मा, नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष आशीष दुसाद, पूर्व उपाध्यक्ष कालूराम जाट, पूर्व सरपंच गोपाल डेनवाल, पवन चोपडा रेलवे कर्मचारी अधिकारी, पार्षदगण, भाजपा पदाधिकारी, सहित बडी संख्या में कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, सांभर लेक जिला जयपुर (राज.)
E-Mail:-sambharnagarpalika@gmail.com, Phone No. 01425-228245
क्रमांकः- न.पा.सा./भू.वि./2022/1834 दिनांक 19/9/22
भूमि नीलामी सार्वजनिक सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका क्षेत्र में पालिका द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक योजना "जागेश्वर विहार" कॉलेज के पीछे, सांभर लेक आवासीय योजना के भू-खण्ड व कॉलेज रोड सांभर लेक पर स्थित दुकान व नावां रोड सांभर लेक पर स्थित आवासीय प्लाट को नीचे दर्शित भू-खण्ड संख्या व साईज अनुसार निम्नांकित दिवसों में विक्रय किये जायेगें। जिसकी विस्तृत जानकारी मय मानचित्र कार्य दिवसों में कार्यालय में देखा जा सकता है। उक्त निलामी निर्धारित दिनाँक को दोपहर 02:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक जरिये आम निलामी से विक्रय किये जायेगें। भूखण्ड जिस स्थान व जिस स्थिति में होंगें उसी स्थिति में विक्रय किये जायेगें। जिनका विवरण निम्न हैं।

क्र. सं.	योजना का नाम	भूखण्ड/दुकान संख्या	नाप क्रमशः (भूखण्ड संख्या अनुसार)	तादाद	आवासीय/ व्यावसायिक	धरोहर राशि प्रति भूखण्ड/ दुकान	निलामी तिथि	समय
1.	जागेश्वर विहार	S-20, S-21	26.83 वर्गगज, 22.22 वर्गगज	02 दुकान	व्यावसायिक	25,000	20.10.2022	दोपहर 02:00 बजे से सायं
		49, 50	77.78 वर्ग गज	02 प्लाट	आवासीय	10,000		5:00 बजे तक
2.	जागेश्वर विहार	S-22, S-23	22.22 वर्गगज, 22.22 वर्गगज	02 दुकान	व्यावसायिक	25,000	21.10.2022	दोपहर 02:00 बजे से सायं
		51, 52	77.78 वर्गगज 67.41 वर्ग गज	02 प्लाट	आवासीय	10,000		5:00 बजे तक
3.	जागेश्वर विहार	S-24, S-25, S-26	22.22 वर्गगज, 22.22 वर्गगज 25.26 वर्ग गज	03 दुकान	व्यावसायिक	25,000	01.11.2022	दोपहर 02:00 बजे से सायं
		53, 54, 55	102.05 वर्ग गज 77.78 वर्ग गज 77.78 वर्ग गज	03 प्लाट	आवासीय	10,000		5:00 बजे तक
4.	नावां रोड सांभर लेक	नावां रोड स्थित प्लाट	102.90 वर्गगज,	01	आवासीय	10,000	02.11.2022	दोपहर 02:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक

निलामी शर्ते -
1. बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को उक्त धरोहर (अमानत) राशि नकद जमा करवाना अनिवार्य होगा।
2. यह भूमि विक्रय राज.न.पा. भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम से संशोधन 2 के 2019 व उसके जारी परिपत्रों के अन्तर्गत की जा रही हैं।
3. जिस व्यक्ति के नाम अमानता राशि की रसीद कटेगी पालिका द्वारा उसी व्यक्ति के नाम का पट्टा जारी किया जायेगा नाम में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।
4. उच्चतम बोली लगाने वाले को निलामी की दिनाँक से तीन कार्य दिवसों के भीतर अपनी बोली का 15 प्रतिशत राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी बोली का 15 प्रतिशत राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयसीमा के भीतर उक्त राशि जमा कराने में विफलता के कारण बोलीदाताओं द्वारा जमा करवायी गई अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी और भूमि की निलामी स्वचलित रूप से रद्द मानी जायेगी।
5. बकाया 35 प्रतिशत राशि निलामी तिथि से 120 दिनों के भीतर जमा करवाना अनिवार्य होगा। विफल क्रेता है तो अवधि की समाप्ति के बाद बोली लगाने वाले 60 दिनों में या विस्तारित समयावधि के भीतर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित देय राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा।
6. भूखण्ड 99 वर्ष लीज होल्ड पर अरबन सेटलमेन्ट ग्राउण्ड रेन्ट के आधार पर विक्रय किया जावेगा जिसकी लीज राशि आरक्षित दर पर व्यावसायिक की 5 प्रतिशत व आवासीय की 2.50 प्रतिशत नियमानुसार क्रेता को जमा करानी होगी।
7. डीड लीज शाश्वत पत्र का विधिवत पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा जिसके स्टाम्प व नक्शा एवं रजिस्ट्री का व्यय क्रेता का होगा।
8. बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता/अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांभर लेक के पास सुरक्षित रहेगा जिसका कारण बताना आवश्यक नहीं होगा
9. 3 वर्ष की अवधि के अन्दर नियमों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकृत करवाकर क्रेता को भवन निर्माण कराना होगा। यदि 3 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नहीं कराया गया तो जमा करायी गई राशि को बगैर लौटाये पालिका द्वारा राशि जब्त कर भूखण्ड को निरस्त कर अपने कब्जे में ले लिया जावेगा तथा पुनः निलाम कर दिया जावेगा।
10. भूमि को मानचित्र एवं शर्तें प्रतिबन्धों व समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है।
11. उपरोक्त भूखण्डों का क्षेत्रफल कम या ज्यादा होगा तो उसके आधार पर राशि जमा करानी होगी
12. सफल बोली दाता 180 दिन में 50 प्रतिशत राशि जमा करवायेगा, विफल रहने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा यदि बोली दाता डिमाण्ड नोटिस की तारिख से 15 दिवस के भीतर सम्पूर्ण राशि करवाता है तो 1 प्रतिशत की बोली राशि में छूट मिलेगी
13. दुकानों की नीलामी बोली पालिका की व्यावसायिक नजूल दर से प्रति वर्गगज के हिसाब से चालू होगी। जिसमें दुकानों की वास्तविक लागत अलग से देय होगी।

(बालकिशन जांगिड) अध्यक्ष, नगर पालिका मण्डल, सांभर लेक
(मनीषा यादव) अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल, सांभर लेक